



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235 ]  
No. 235]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 12, 2001/चैत्र 22, 1923  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2001/CHAITRA 22, 1923

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2001

का. आ. 327(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन इसमें निहित शक्तियां अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / समितियों को, जैसा नीचे सारणी में दिया गया है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट भी है, से संबंधित मानकों और नियमों के अतिक्रमण के लिए किसी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को, निदेश जारी करने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रति संहृत कर सकेगी या उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का अवलंब ले सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसी कार्रवाई करना लोकहित में आवश्यक है :-

## सारणी

क्र सं	बोर्ड / समिति का नाम	अधिकारिता
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
2	अरुणाचल राज्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
3	असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
4	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
5	गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
6	गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
7	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
8	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य

1	2	3
9	जम्मू व कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
10	कर्नाटक प्रदूषण राज्य नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
11	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
12	मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
13	महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
14	मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
15	मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
16	मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
17	नागालैंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
18	उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
19	पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
	सिक्किम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
	तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
3	त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
24	उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
25	पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सम्पूर्ण राज्य
26	समिति अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
27	समिति चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
28	समिति दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
29	समिति दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
30	समिति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
31	समिति लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
32	समिति पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र

[सं. 1(35)/96-पी एल]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2001

S.O. 327(E).— In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 5 of the said Act to the Chairman, State Pollution Control Boards/Committees as given in the Table below, to issue directions to any industry or any local or other authority for the violations of the standards and rules relating to bio-medical waste, hazardous chemicals, industrial solid waste and municipal solid waste including plastic waste notified under the Environment (Protection) Act, 1986, subject to the conditions that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself invoke the provisions of

Section 5 of the said Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in the public interest:-

TABLE

Sl. No.	Name of the Board/Committee	Jurisdiction
1.	2.	3.
1.	Andhra Pradesh State Pollution Control Board	Whole of State
2.	Arunachal Pradesh State Pollution Control Board	Whole of State
3.	Assam State Pollution Control Board	Whole of State
4.	Bihar State Pollution Control Board	Whole of State
5.	Goa State Pollution Control Board	Whole of State
6.	Gujarat State Pollution Control Board	Whole of State
7.	Haryana State Pollution Control Board	Whole of State
8.	Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Whole of State
9.	Jammu and Kashmir State Pollution Control Board	Whole of State
10.	Karnataka State Pollution Control Board	Whole of State
11.	Kerala State Pollution Control Board	Whole of State
12.	Maharashtra State Pollution Control Board	Whole of State
13.	Madhya Pradesh State Pollution Control Board	Whole of State
14.	Manipur State Pollution Control Board	Whole of State
15.	Meghalaya State Pollution Control Board	Whole of State
16.	Mizoram State Pollution Control Board	Whole of State
17.	Nagaland State Pollution Control Board	Whole of State
18.	Orissa State Pollution Control Board	Whole of State
19.	Punjab State Pollution Control Board	Whole of State
20.	Rajasthan State Pollution Control Board	Whole of State
21.	Sikkim State Pollution Control Board	Whole of State
22.	Tamil Nadu State Pollution Control Board	Whole of State
23.	Tripura State Pollution Control Board	Whole of State
24.	Uttar Pradesh State Pollution Control Board	Whole of State
25.	West Bengal State Pollution Control Board	Whole of State
26.	Committee, Andaman & Nicobar Union Territory.	Whole of U.T.
27.	Committee, Chandigarh Union Territory.	Whole of U.T.
28.	Committee, Dadara and Nagar Haveli U. Territory.	Whole of U.T.
29.	Committee, Daman and Diu Union Territory.	Whole of U.T.
30.	Committee, National Capital Territory of Delhi.	Whole of U.T.
31.	Committee, Lakshadweep Union Territory.	Whole of U.T.
32.	Committee, Pondicherry Union Territory.	Whole of U.T.

[No. 1(35)/96-PL]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.